

कार्यालय-न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.)
//सूचना पत्र//

क्रमांक-क्यु/भ.स./2026

मुंगेली, दिनांक 26/10/2026

कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जिला मुंगेली छ.ग. में सहायक ग्रेड-03 के पद पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची(Provisional List) जिला न्यायालय मुंगेली की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी।

उक्त अनंतिम सूची के संबंध में अपात्र घोषित अभ्यर्थियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किये दावा-आपत्तियों का भर्ती समिति द्वारा परीक्षण एवं निराकरण किया गया है। प्राप्त दावा-आपत्तियों के निराकरण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूचियों में आवश्यक संशोधन किया गया है, जिला न्यायालय मुंगेली की वेबसाइट <https://mungeli.dcourts.gov.in/> पर प्रकाशित किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में प्रकाशित पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूचियां, दावा-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् किए गए संशोधनों के अधीन मानी जाएंगी तथा तदनुसार संशोधित मानी जाएंगी। इस संबंध में पृथक से कोई "अंतिम सूची" प्रकाशित नहीं की जाएगी। वर्तमान में प्रकाशित सूचियों को पूर्व में प्रकाशित सूचियों के साथ पढ़ा जाए तथा उनमें किए गए संशोधन के अनुसार ही अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता निर्धारित मानी जाएगी। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वह जिला न्यायालय मुंगेली छ.ग. की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी संबंधित सूचियों का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर अपनी पात्रता/अपात्रता की स्थिति सुनिश्चित कर ले।

उपरोक्त अनंतिम सूची के संबंध में अपात्र घोषित अभ्यर्थियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्तियों का भर्ती समिति द्वारा परीक्षण एवं निराकरण किया गया है। उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार, दिनांक 14.10.2026 की शाम 05:00 बजे के पश्चात् प्राप्त किसी भी दावा-आपत्ति पर भी विचार नहीं किया गया है। निर्धारित समय-सीमा एवं निर्धारित माध्यम के अतिरिक्त प्राप्त दावा-आपत्तियां विचारणीय नहीं मानी गई हैं।

भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी की पात्रता में कोई कमी है अथवा वह विज्ञापन में निर्धारित किसी भी शर्त के अनुसार अपात्र है, तो ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता/उम्मीदवारी किसी भी चरण में निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में भर्ती समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

सही/-
अध्यक्ष
भर्ती समिति,
कार्यालय-न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
जिला-मुंगेली (छ.ग.)